न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2022 (राजसमन्दआर्डर)

श्रीमती सुन्दरबाई पिता डालू जी पत्नी शंकरलाल जी गायरी, निवासी चौकड़ी, हाल घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. डालू पिता चेना जी गायरी, निवासी चौकड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. मांगू पिता चेना जी गायरी, निवासी चौकड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. भूरालाल पिता लेहरू जी गायरी, नि0 चौकड़ी, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द
4. बद्रीलाल पिता डालू जी गायरी, नि0 चौकड़ी, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्ड अधिकारी,राजसमन्ददिनांक 20—05—2022 प्रकरणसंख्या44/2022

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :—श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

———::———

निर्णयदिनांक01—08—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा चौकड़ी में आराजी नंबर 1577, 897, 979, 980, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 991 कुल किता 12 रकबा 2.6144 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1320 रकबा 1.0765 हैक्टर भूमि स्थित है, जो पक्षकारान की मौरूसी होकर प्रार्थीया का भी समान हक अधिकार है। पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा विवादित आराजियात संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है। विवादित भूमियां प्रार्थीया के दादा चेनाजी की होकर उनके तीन पुत्र डालू, लहरू व मांगू हुए। विपक्षी संख्या 1 का उक्त सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थीया डालू की पुत्री व विपक्षी संख्या 3 डालू का पुत्र है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजियात में प्रार्थीया का भी 1/9 हिस्सा निहित है, किन्तु विपक्षीगण बिना विधिक बंटवारे के लोगों के बहकावे में आकर भूमि का विक्रय, दान, बक्सीस, वसीयत, रहन करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण नहीं करें, प्रार्थीया के हक हिस्से में दखल नहीं दे तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 20–05–2022 को प्रार्थीया का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्टहोकर अपीलान्ट/प्रार्थीया ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–05–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4 की ओर से पूर्व में उनके अधिवक्ता श्री नूतन माहेश्वरी उपस्थित हुए, किन्तु वक्त बहस अनुपस्थित रहे। अन्य रेस्पोन्डेन्ट भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करअभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां पक्षकारान की पुश्तैनी होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थीया का भी समान हक अधिकार निहित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया है कि विवादित आराजियात पैत्रृक होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया के दादा चेना जी के समय से चली आ रही हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 610 प्रस्तुत की।

हमनेबहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2041 अनुसार विवादित आराजियात चेना के समय की होना प्रकट होता है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह अंकित किया है कि प्रार्थीया ने पैत्रृक सम्पत्ति बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित आराजियात पैत्रृक है अथवा नहीं तथा प्रार्थीया/अपीलान्ट का विवादित आराजियात में हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malviya
Date: 2023.08.01 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है,लेकिन विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में रेस्पोन्डेन्टगण के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा यदि भूमि का अन्यत्र विक्रय कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य और अधिक विवाद होने की संभावना है तथा मूलवाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्ट/प्रार्थीया का अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–05–2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को पुनः सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–09–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 01–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested